10/1/23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी के पत्रावली पर बहस सुनी। प्रार्थी की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने व हटाने की कार्यवाही का निस्तारण मूल वाद पत्र के तय होना है वर्तमान में स्थगन द्वारा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझती है लिहाजा प्रार्थी का आवेदन नामंजूर कर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

[illegible signature]

[illegible stamp]

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.17 13:28:59 IST
Reason: SelfAttested